**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**हीरा दास**

**बनाम**

**बिहार राज्य**

**2019 का आपराधिक अपील(खण्ड पीठ) संख्या 103**

30 अप्रैल 2024

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)**

**विचार के लिए मुद्दा**

क्या आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता की सजा कायम रह सकती है या नहीं?

**हेडनोट्स**

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण ('पोक्सो') अधिनियम, 2012- धारा 40- पोक्सो नियम-नियम 4-यौन उत्पीड़न मामलों के पीड़ितों का कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार-यौन उत्पीड़न मामलों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा न करना-आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा के खिलाफ अपील।

**निर्णय:** अपील की सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि इस मामले में पीड़िता को इस अपील की सुनवाई के बारे में सूचित करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है-पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध की पीड़िता को अपराध होने के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है और ऐसी पीड़िता को जांच के चरण से लेकर अपील/संशोधन में कार्यवाही की परिणति तक असीमित भागीदारी के अधिकार प्राप्त हैं-पोक्सो नियम बच्चे के परिवार या अभिभावक के लिए कानूनी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की सहायता के लिए एक वैधानिक अधिकार को मान्यता देते हैं और उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार देते हैं-विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की पहचान का खुलासा न करने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया है क्योंकि पीड़िता की पहचान पूरी तरह से उजागर हो चुकी है-निर्देश दिया गया है कि वर्तमान अपील में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में सूचनाकर्ता को जोड़ा जाए और निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक डोमेन में रखे गए रिकॉर्ड में

पीड़िता/उसके अभिभावक/माता-पिता की पहचान का खुलासा न किया जाए। **(पैरा- 3, 5, 6, 10, 12, 13)**

## न्याय दृष्टान्त

जगजीत सिंह एवं अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फमोनू एवं अन्य (2022) 9 एससीसी 321; अर्जुन किशनराव मालगे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य; निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2019) 2 एससीसी 703 .....अनुसरण किया गया।

## अधिनियमों की सूची

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण ('पोक्सो') अधिनियम, 2012; भारतीय दंड संहिता; दंड प्रक्रिया संहिता।

## मुख्य शब्दों की सूची

पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़ितों के अधिकार- यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान का खुलासा न करना- पीड़ितों के सहभागी अधिकार- पोक्सो अधिनियम की वैधानिक योजना- अपराधों की जांच और परीक्षण।

## प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण संख्या 528/2013 में विद्वान विशेष न्यायाधीश अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 05.07.2017 को दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 11.07.2017 को सजा का आदेश पारित किया गया।

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री विशाल अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गयाः घनश्याम, अधिवक्ता

## माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2019 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) सं. 103**

थाना कांड संख्या-94 वर्ष-2013 थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर से उत्पन्न

==========

हीरा दास, पिता-स्वर्गीय चुल्हाई पिता के पुत्र, निवासी ग्राम- गंगापुर, थाना- मुसरीघरारी, जिला-समस्तीपुर

... ...याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य

2. [redacted] पति- राम किशन दास , निवासी - गांव-तेनुआ, थाना -मंसूर चक, जिला-बेगुसराय

... ...उत्तरदाता/ओं

==========

**उपस्थिति:**

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री विशाल अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अ.लो.अ.

==========

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

मौखिक आदेश

**(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)**

30-04-2024 वर्तमान अपील मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 94/2013 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 528/2013 में विद्वान विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 05.07.2017 को दिए गए दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 11.07.2017 के सजा के आदेश से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 376 और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संक्षेप में 'पोक्सो') अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी

ठहराया गया है। उसे दोनों अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 50,000/- रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अपीलकर्ता को अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

**2.** यह अपील स्वीकार कर ली गई है, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड प्राप्त हो गए हैं और यह सुनवाई के लिए आ गई है।

**3.** अपील की सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि इस मामले में पीड़िता को इस अपील की सुनवाई के बारे में सूचित करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पीड़ित या सूचक को सूचित करने के लिए अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया है।

**4.** पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के बारे में पीड़ित को सूचित करने की आवश्यकता के संबंध में, इस अदालत का विचार रहा है कि पीड़ित/सूचक को अपील के लंबित रहने और अपील की सुनवाई के बारे में नोटिस दिया जाना आवश्यक है। इस मुद्दे पर बार में एक बार फिर चर्चा हुई है।

**5.** हमारे सामने **जगजीत सिंह एवं अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसे **(2022) 9 एससीसी 321** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैराग्राफ '23' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि पीड़ित को अपराध होने के बाद हर कदम पर सुनवाई का कानूनी रूप से निहित अधिकार है और ऐसे पीड़ित के पास जांच के चरण से लेकर अपील/संशोधन में कार्यवाही की परिणति तक असीमित भागीदारी के अधिकार हैं।

**6. अर्जुन किशनराव मालगे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** के मामले में एक अन्य निर्णय में, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 40 के अधिदेश पर चर्चा की है, जिसे पॉक्सो नियमों के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो नियमों के नियम 4(13) और 4(15) के साथ पढ़ा जाए, तो बच्चे के परिवार या अभिभावक के लिए कानूनी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की सहायता के लिए एक वैधानिक अधिकार को मान्यता देता है और उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार है। यह आगे माना गया है कि "एक आवश्यक परिणाम के रूप में, ऐसे व्यक्तियों को आवेदन दाखिल करने और कार्यवाही के विभिन्न चरणों में ऐसे आवेदनों पर निर्धारित सुनवाई के बारे में जागरूक होने का भी अधिकार है"।

**7.** उक्त निर्णय में, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशेष किशोर पुलिस इकाई (संक्षेप में 'एसजेपीयू') की भूमिका पर भी गौर किया है और निम्नानुसार निर्देश जारी किए हैं:-

> "(i) पोक्सो नियमों के नियम 4 के तहत बच्चे के परिवार या अभिभावक या कानूनी सलाहकार को सूचित करने के एसजेपीयू के कर्तव्य के बावजूद:
>
> > (क) जहां अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष आवेदन किया जाता है, सरकारी अभियोजक के कार्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चे के परिवार या अभिभावक को ऐसे आवेदन की सुनवाई की सूचना जारी करे, और जहां बच्चे की ओर से कानूनी सलाहकार पहले से ही रिकॉर्ड पर है, ऐसे कानूनी सलाहकार को कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के साथ भेजे।
> >
> > (ख) जब अभियुक्त की ओर से अदालत के समक्ष आवेदन किया जाता है, तो अभियुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चे के

परिवार या अभिभावक को ऐसे आवेदन की सुनवाई की सूचना जारी करे, और जहां बच्चे की ओर से कानूनी सलाहकार पहले से ही रिकॉर्ड पर है, ऐसे कानूनी सलाहकार को कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के साथ भेजे।

(ii) जब अभियोजन पक्ष की ओर से कोई आवेदन किया जाता है, तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अदालत को यह पुष्टि करे कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक रिकॉर्ड के साथ इस तरह के आवेदन की सुनवाई की सूचना तामील के सबूत के साथ ली और पूरी की गई है।

(iii) यदि बच्चे के परिवार, अभिभावक या कानूनी सलाहकार की सेवा करना संभव नहीं हुआ है, तो एसजेपीयू का कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अदालत को लिखित रूप में कारणों की जानकारी दे।

(iv) उपयुक्त न्यायालय, आवेदन की सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, नोटिस की तामील की स्थिति का पता लगाएगा, और यदि यह पाया जाता है कि नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो न्यायालय किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए ऐसा तर्कपूर्ण आदेश दे सकता है जो बच्चे के परिवार या अभिभावक या कानूनी सलाहकार की अनुपस्थिति में पर विचार करने के लिए उचित समझे।

(v) यदि नोटिस जारी करने के बावजूद बच्चे का परिवार, अभिभावक या कानूनी सलाहकार सुनवाई में शामिल नहीं होता है, तो न्यायालय ऐसे नोटिसधारक की उपस्थिति के बिना आगे बढ़ सकता है या न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय जैसा उचित और उपयुक्त समझे,एक नई सूचना जारी कर सकता है।

(vi) जब अधिनियम के तहत कार्यवाही दंड संहिता, 1860 की धारा 376 (3), 376-एबी, 376-डीए या 376-डीबी के खिलाफ अपराध से भी संबंधित होगी, तो पीड़ित को नोटिस नियम 4 (13) और 4 (15) के साथ धारा 439 (1-ए) के तहत जारी किया जाएगा।

(vii) यह आदेश महाराष्ट्र राज्य के सभी सत्र न्यायाधीशों और विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों के संज्ञान में लाया जाएगा।"

**8. अर्जुन किशनराव मालगे** (*उपर्युक्त*) के मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने पर, हम खुद को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के विचारों से सहमत पाते हैं। यह पॉक्सो अधिनियम की वैधानिक योजना और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ **जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फमोनू और अन्य** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है।

**9.** इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अर्जुन किशनराव मालगे (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 20 में निहित निर्देश इस आदेश का हिस्सा होंगे और बिहार राज्य में भी उनका पालन किया जाना चाहिए।

**10.** यह न्यायालय विद्वान ट्रायल कोर्ट के निर्णय से पाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने निर्णय में पीड़िता की पहचान का खुलासा न करने के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पढ़ने पर पता चलता है कि पीड़िता की पहचान पूरी तरह से उजागर कर दी गई है। **निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) 2 एससीसी 703** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 से निपटते समय मामले के इस पहलू से निपटा है। **निपुण सक्सेना** (उपर्युक्त) मामले में निर्णय के पैराग्राफ '44' और '45' को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "**44.** *बिजॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*[6] मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पॉक्सो के प्रावधानों से निपटने के दौरान कारणों को निर्धारित करते हुए एक विस्तृत निर्णय दिया है और कहा है कि न तो जांच के दौरान और न ही मुकदमे के दौरान पीड़िता के नाम का खुलासा किया जाना चाहिए।

**45.** *बिजॉय मामले*[6] में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कानून के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्देश भी दिए हैं, तथा पीड़ित बच्चों के मौलिक अधिकारों और अन्य बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। हम इन सभी निर्देशों से सहमत हैं। हालाँकि इन निर्देशों में निपटाए गए कुछ मुद्दे इस मामले में सख्ती से नहीं उठते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम बच्चों के अधिकारों के साथ काम कर रहे हैं, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को इस निर्णय के अनुलग्नक 1 के रूप में जोड़ रहे हैं। हम देश के सभी उच्च न्यायालयों की सभी किशोर न्याय समिति के सभी अध्यक्षों और सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और उसमें जारी निर्देशों को देखें और वे प्रत्येक उच्च न्यायालय/राज्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समान निर्देश जारी कर सकते हैं।"

11. **बिजॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को **निपुण सक्सेना** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ '53' में शामिल किया गया है। हम उन निर्देशों को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:-

**"53. संलग्नक-1**

(कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बिजॉय बनाम *पश्चिम बंगाल राज्य*[6] एससीसी ऑनलाइन कैल पैरा 40 में जारी निर्देश)

"1. पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई को अधिनियम के तहत अपराध के होने या होने की संभावना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर उसे अधिनियम की धारा 19 के अनुसार तुरंत पंजीकृत करना होगा और बच्चे और/या उसके माता-पिता को एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी और बच्चे या उसके माता-पिता या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर बच्चे का भरोसा और विश्वास हो, कानूनी सहायता

और प्रतिनिधित्व के अपने अधिकार के बारे में सूचित करना होगा और यदि बच्चा अपने कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो बच्चे को अधिनियम की धारा 40 के तहत आवश्यक कानूनी सहायता/प्रतिनिधित्व के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजना होगा। पॉक्सो की धारा 4, 6, 7, 10 और 12 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर दंड संहिता की धारा 166-बी के तहत दंडनीय दायित्व होगा क्योंकि उपरोक्त अपराध दंड संहिता के अपराधों के समान और/या समरूप हैं, जिनका उल्लेख उक्त दंड प्रावधान में किया गया है।

2. एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी बच्चे को तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए, जब भी आवश्यक हो, और/या अधिनियम की धारा 27 के तहत चिकित्सा जांच के लिए भेजेगा और अधिनियम की धारा 25 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ित का बयान दर्ज करना सुनिश्चित करेगा। घटना में, पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई की राय में बच्चा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2(डी) के तहत परिभाषित "देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे" की परिभाषा के अंतर्गत आता है, [जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (एसआईसी) द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है] उक्त पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई बच्चे को कानून के अनुसार देखभाल, संरक्षण, उपचार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाली बाल कल्याण समिति को तुरंत भेज देगी।

3. जब भी विशेष न्यायालय को प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना दी जाती है, तो विशेष न्यायालय उपरोक्त निर्देश 1 और 2 में उल्लिखित कानून की उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में जांच एजेंसी से उचित पूछताछ करेगा और यदि आवश्यक हो तो कानून के अनुसार उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

4. विशेष किशोर पुलिस इकाई सहित मामले में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और जांच अधिकारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित की पहचान जांच के दौरान उजागर न हो, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 24 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करते समय (जो यथासंभव पीड़ित के निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान या उसकी/उसका माता-

पिता/संरक्षक की पसंद के स्थान पर, जैसा भी मामला हो किया जा सकता है), अधिनियम की धारा 25 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका/उसकी जांच के दौरान, और अधिनियम की धारा 19(5) के तहत आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए और/या अधिनियम की धारा 27 के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए बच्चे को अग्रेषित करते समय भी पहचान उजागर न हो।

5. जाँच एजेंसी किसी भी मीडिया में पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय के हित में विशेष न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के अलावा किसी भी तरह से ऐसी पहचान का खुलासा न किया जाए। कानून की उपरोक्त आवश्यकता का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 23 (4) के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

6. मामले की सुनवाई अधिनियम की धारा 37 के अनुसार बंद कमरे में की जाएगी और पीड़ित की गवाही को बिना किसी अनावश्यक देरी के तुरंत दर्ज किया जाएगा और अधिनियम की धारा 36 में दिए गए अनुसार आरोपी व्यक्ति से पीड़ित को अलग करने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पीड़ित की गवाही को न्यायालय द्वारा माता-पिता, अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में बाल-अनुकूल वातावरण में दर्ज किया जाएगा, जिस पर बच्चे को भरोसा और विश्वास हो, तथा बीच-बीच में बीच-बीच में ब्रेक दिया जाएगा और विशेष न्यायालय बच्चे से बार-बार, आक्रामक या परेशान करने वाली पूछताछ की अनुमति नहीं देगा, खासकर उसके चरित्र हनन के बारे में, जिससे ऐसी जांच के दौरान बच्चे की गरिमा को ठेस पहुंचे। उपयुक्त मामलों में, विशेष न्यायालय बचाव पक्ष से जिरह के दौरान घटना से संबंधित अपने प्रश्न लिखित रूप में न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और न्यायालय पीड़ित से ऐसे प्रश्न ऐसी भाषा में पूछेगा जो पीड़ित को समझ में आए और सभ्य और गैर-आक्रामक तरीके से पूछे।

7. यदि पीड़ित विदेश में है या किसी दूर के स्थान पर रह रहा है या विशेष परिस्थितियों के कारण साक्ष्य दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका साक्ष्य दर्ज करने के लिए सहारा लिया जाएगा।

8. पीड़ित की पहचान विशेष रूप से उसका नाम, माता-पिता, पता या कोई अन्य विवरण जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है, विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में तब तक प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि पहचान का ऐसा खुलासा बच्चे के हित में न हो।

9. अधिनियम के तहत किसी अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय एफआईआर दर्ज करके स्वयं अथवा पीड़ित के आवेदन पर बच्चे की तत्काल राहत अथवा पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में जांच करेगा तथा राज्य और पीड़ित सहित अन्य प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बच्चे के अंतरिम मुआवजे और/अथवा पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगा। कार्यवाही के समापन पर, चाहे अभियुक्त को दोषी ठहराया गया हो अथवा नहीं, अथवा ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त का पता नहीं लगाया जा सका है अथवा वह फरार हो गया है, विशेष न्यायालय इस बात से संतुष्ट होने पर कि अपराध के घटित होने के कारण पीड़ित को हानि अथवा चोट पहुंची है, पीड़ित के पक्ष में उचित और युक्तिसंगत मुआवजा प्रदान करेगा। मुआवजे की राशि पीड़ित को हुई हानि और चोट तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी, जैसा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 के नियम 7(3) में निर्धारित किया गया है तथा यह पीड़ित मुआवजा निधि में निर्धारित न्यूनतम राशि तक सीमित नहीं होगी। अंतरिम/अंतिम मुआवजा या तो पीड़ित मुआवजा निधि से या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357-ए के तहत स्थापित किसी अन्य विशेष योजना/निधि से या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों या जिला सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, जिनके हाथों में निधि सौंपी गई है, किसी भी समय लागू किसी अन्य कानून से दिया जाएगा। यदि न्यायालय तत्काल मामले में अंतरिम या अंतिम मुआवजा देने से इनकार करता है तो वह ऐसा न करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। इस प्रकार भुगतान किया गया अंतरिम मुआवजा अधिनियम की धारा 33(8) के अनुसार मुकदमे के समापन पर विशेष अदालत द्वारा दिए गए अंतिम मुआवजे, यदि कोई हो, के साथ समायोजित किया जाएगा।

10. विशेष अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि पॉक्सो के तहत मामलों में मुकदमा अनावश्यक रूप से लंबा न चले और अधिनियम की धारा 35(2) के अनुसार पक्षों को अनुचित स्थगन दिए बिना अपराध का

संज्ञान लेने से एक वर्ष के भीतर मुकदमे को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करने के लिए सभी उपाय करेगी।"

**12.** हमारा विचार है कि इस आदेश को बिहार राज्य के सभी सत्र न्यायाधीशों और विशेष न्यायालय के न्यायाधीशों के ध्यान में लाया जाए। पॉक्सो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक, अभियोजन निदेशक, बिहार राज्य और बिहार राज्य के प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को भी भेजी जाए। इस आदेश की एक प्रति व्यापक विचार-विमर्श के लिए सदस्य सचिव, बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और बिहार न्यायिक अकादमी को भी भेजी जाए।

**13.** यह न्यायालय निर्देश देता है कि सूचनाकर्ता को आज ही वर्तमान अपील में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में शामिल किया जाए। सार्वजनिक डोमेन में रखे गए अभिलेखों में पीड़िता/उसके अभिभावक/माता-पिता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा।

**14.** राज्य के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि वे एक सप्ताह के भीतर पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के कार्यालय के माध्यम से सूचक को नोटिस तामील कराएंगे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस तामील के संबंध में इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**15.** कार्यालय कल तक नोटिस की प्रति विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सौंप देगा।

**16.** इस अपील को इसकी स्थिति बरकरार रखते हुए उसी शीर्षक के अंतर्गत 13 मई, 2024 को सूचीबद्ध करें।

**(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)**

**(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)**

ऋषि/सिवानी -

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**